गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग

नागरिक अधिकारपत्र

हमारा दृष्टिकोण

हमारा दृष्टिकोण गंगा बेसिन राज्यों और उनके लोगों को बाढ़ की समस्याओं से मुक्त करना है ताकि मानव दुखों को समाप्त किया जा सके और लोगों को उनकी जनशक्ति के उत्पादक और लाभकारी उपयोग और पानी, भूमि और कृषि-जलवायु जैसे उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से इष्टतम लाभों की प्राप्ति को सक्षम किया जा सके।

हमारा विशेष कार्य

1. गंगा बेसिन राज्यों में बाढ़ प्रबंधन संरचनाओं और सुविधाओं की योजना, डिजाइन, निर्माण, रखरखाव और सुरक्षा के लिए सेवाएं और सहायता प्रदान करना और बाढ़ की समस्या से उपयुक्त रूप से निपटने के लिए आवश्यक विभिन्न इंजीनियरिंग मामलों पर उचित सलाह देना ताकि बाढ़ की क्षति को कम किया जा सके, बाढ़ से कमजोर क्षेत्रों की रक्षा की जा सके, बाढ़ प्रवाह से कमजोर क्षेत्रों की रक्षा की जा सके, बाढ़ प्रवाह को नियंत्रित और विनियमित किया जा सके ताकि पानी और संबंधित प्राकृतिक संसाधनों दोनों के बंदोबस्ती के अनुरूप लोगों को इष्टतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके। उपर्युक्त गतिविधि के संबंध में अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्थायी समाधानों को संबोधित करने के लिए।

2. हर समय याद रखना कि राष्ट्र और उसके नागरिकों के लिए सेवाएं हमारी प्रमुख चिंता हैं।

3. बड़े पैमाने पर ग्राहकों और नागरिकों के साथ व्यवहार में पारदर्शिता और शिष्टाचार के साथ वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के अनुरूप त्वरित सेवाएं प्रदान करने के लिए।
4. दृष्टि से संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी और पेशेवर कौशल में कर्मचारियों की क्षमता का विकास सुनिश्चित करना।

आधिकारिक तंत्र

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, जल संसाधन मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय, जिसका मुख्यालय पटना में है, की स्थापना गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के सचिवालय और कार्यकारी विंग के रूप में की गई थी, जिसे वर्ष 1972 में बाढ़ और इसके प्रबंधन से निपटने के लिए बनाया गया था। गंगा बेसिन स्टेट्स इसकी अध्यक्षता गंगा बेसिन राज्यों के एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य करते हैं।

GFCC द्वारा किए गए व्यवसाय का विवरण

मूल रूप से परिकल्पित जीएफसीसी द्वारा किए गए कारोबार का विवरण निम्नानुसार है:

क. गंगा बेसिन नदियों के लिए बाढ़ नियंत्रण की व्यापक योजना तैयार करना।

ख. संबंधित राज्यों द्वारा बेसिन-वार योजना में शामिल कार्यों के कार्यान्वयन का एक चरणबद्ध और समन्वित कार्यक्रम तैयार करना।

ग. कार्यों और उनके रखरखाव के उचित मानकों को सुनिश्चित करें।

<u>वर्तमान में GFCC के व्यापक कार्य निम्नानुसार हैं:</u>

- गंगा उप बेसिन में बाढ़ प्रबंधन की व्यापक योजनाएं तैयार करना। इस प्रयोजनार्थ फील्ड जांच और आंकड़ों का संग्रहण गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के निदेशानुसार राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।
- बेसिनवार योजनाओं में शामिल कार्यों के कार्यान्वयन का एक चरणबद्ध और समन्वित कार्यक्रम तैयार करना।
- संबंधित राज्यों को गुणवत्ता नियंत्रण, सामग्री विनिर्देशों और रखरखाव के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह देना ताकि कार्यों के कार्यान्वयन और उचित मानकों के अनुसार उनके रखरखाव को सुनिश्चित किया जा सके।
- जहां कहीं भी बोर्ड के विचारार्थ अपेक्षित हो, कार्यों का वाषक कार्यक्रम तैयार करना और लागत का आबंटन करना।
- सड़क और रेल पुलों के नीचे मौजूदा वेंटवे का आकलन करना और जल निकासी की भीड़ को उचित सीमा तक कम करने के लिए प्रदान किए जाने वाले अतिरिक्त जलमार्गों का निर्धारण करना।
- महत्वपूर्ण बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के निष्पादन की निगरानी करना, विशेषरूप से केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने वाली अथवा केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत निष्पादित की जा रही योजनाओं की निगरानी करना।
- ताजेवाला से ओखला बैराज तक यमुना नदी पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्यों की स्कीमों को छोड़कर गंगा उप-बेसिन राज्यों के सभी वृहद और मध्यम बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी, जल-जमाव रोधी और कटाव-रोधी स्कीमों की जांच करना।
- बेसिन राज्यों द्वारा उचित उपयोग के लिए वैज्ञानिक संगठनों के साथ भागीदारी में किए गए विशेष अध्ययनों या जांचों से उभरने वाले निष्कर्षों को दस्तावेज और प्रसारित करना।
- सभी अंतर-राज्यीय बाढ़ नियंत्रण स्कीमों सहित राज्यों द्वारा निष्पादित प्रमुख बाढ़ नियंत्रण उपायों के निष्पादन का मूल्यांकन करना।
- बाढ़ प्रबंधन के विषय से संबंधित भारत सरकार और गंगा बेसिन राज्यों द्वारा गठित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समितियों में भाग लेना।
- उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त, जीएफसीसी का प्रतिनिधित्व बाढ़ प्रबंधन से संबंधित राज्य सरकारों/भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न तकनीकी समितियों में भी किया जाता है और इन समितियों को विशेषज्ञ तकनीकी सलाह प्रदान करता है।

<u>हमारे हितधारक</u>

1) जल संसाधन मंत्रालय

2) केंद्रीय जल आयोग

3) गंगा बेसिन राज्यों की राज्य सरकार (बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा))

<u>हमारे ग्राहकों का विवरण</u>

1. गंगा बेसिन राज्यों (बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा) की राज्य सरकारें
2. अन्य सरकारी विभाग/संगठन जहां जीएफसीसी बाढ़ से संबंधित समितियों का सदस्य है।
3. केंद्रीय जल आयोग
4. विदेश मंत्रालय
5. रेल मंत्रालय
6. भूतल परिवहन मंत्रालय
7. केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन
8. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
9. शैक्षिक संस्थान
10. गैर-सरकारी संगठन और अन्य संगठन
11. सिविल सोसाइटी

<u>ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण</u>

जीएफसीसी उसे सौंपे गए कार्यों के साथ-साथ राज्य सरकारों या भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों में भागीदारी, गंगा बेसिन राज्यों में बाढ़ की निगरानी और गंगा बेसिन राज्यों में बाढ़ प्रबंधन और अन्य संबंधित मामलों से संबंधित वीआईपी संदर्भों और संसद के प्रश्नों के उत्तर तैयार करने से संबंधित कार्यों को पूरा करने में लगी हुई है। जीएफसीसी नेपाल में बाढ़ से संबंधित कार्यों के लिए विदेश मंत्रालय की भी सहायता कर रहा है।

<u>लोक और कर्मचारी शिकायतें</u>

निदेशक (एमपी-2) लोक शिकायत और कर्मचारी शिकायतों के प्रभारी हैं। यदि जनता/स्टाफ के किसी सदस्य को कोई शिकायत है और वह व्यक्तिगत रूप से मामले को उठाना चाहता है, तो वह लोक शिकायत/कर्मचारी शिकायत अधिकारी श्री संजय कुमार गंगवार, निदेशक (एमपी-2), गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, तीसरी मंजिल, सिंचई भवन, पटना (टेलीफोन नंबर 0612-2233591) से संपर्क कर सकता है।

<u>यौन उत्पीड़न पर महिलाओं की शिकायतों पर समिति</u>

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में कार्यरत महिलाओं की शिकायतों से निपटने के लिए निदेशक (प्रशासन) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। कोई भी स्टाफ सदस्य जिसे यौन उत्पीड़न या अन्य लिंग संबंधी अपराधों की शिकायत है, वह उनसे तीसरी मंजिल, सिंचाई भवन, पटना, टेलीफोन नंबर 0612-2215222, फैक्स नंबर 0612-2215222 पर संपर्क कर सकती है।

<u>सामान्य</u>

नागरिक चार्टर के आगे सुधार के लिए ग्राहकों और हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर समीक्षा की जाएगी।

जीएफसीसी के कार्यक्रमों और गतिविधियों के संबंध में जानकारी वेबसाइट (पता: http://www.gfcc.bih.nic.in) में देखी जा सकती है।